अब 90 % से कम उपस्थिति पर नहीं दे सकेंगे सेमेस्टर परीक्षा

ग्रेटर नोएडा। डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि में परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों की 90 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। हालांकि, विवि ने विशेष परिस्थिति में पंद्रह प्रतिशत की छूट की राहत अभी खत्म नहीं की है। पंद्रह प्रतिशत से भी कम अपस्थित पर सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए विवि के छात्रों के लिए अभी 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती थी। जिसके बाद कॉलेज के निदेशक स्तर पर विशेष परिस्थिति में पंद्रह प्रतिशत की छूट मिल जाती थी। अब विवि की ओर से सर्कुलर जारी करते हुए कॉलेजों को नया नियम लागू करने की जानकारी दी है। नए नियम के तहत विद्यार्थियों की उपस्थिति सौ प्रतिशत रखनी होगी। दस प्रतिशत तक की छूट विद्यार्थियों को मिलेगी। विशेष परिस्थिति में बीमारी या अन्य परेशानी के आधार पर पंद्रह प्रतिशत की छूट और मिल सकेगी। विवि ने स्पष्ट कर दिया है कि 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर किसी भी दशा में छूट नहीं दी जाएगी। विवि ने कॉलेजों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक 15 व 30 दिनों में छात्र, अभिभावक, निदेशक व फैकल्टी मेंबर पर उपस्थिति का विवरण भेजना अनिवार्य होगा। विवि ने कहा है कि परीक्षा के अंत में जिन छात्रों की उपस्थिति कम होगी उनके लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी। ब्यूरो